अध्याय–VII
कर–इतर प्राप्तियाँ

अध्याय-VII कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के कर-इतर राजस्व में मुख्य रूप से ब्याज, खानों एवं खनिजों, विविध सामान्य सेवायें, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वन और वन्य जीव से प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान संग्रहित कुल राजस्व एवं कर-इतर राजस्व निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य द्वारा संग्रहित कुल राजस्व	राज्य का कुल कर-इतर राजस्व	कर-इतर राजस्व की कुल राजस्व से प्रतिशतता
2007-08	17,328.66	4,053.93	23.4
2008-09	18,832.21	3,888.46	20.6
2009-10	20,972.49	4,558.22	21.7
2010-11	27,053.20	6,294.12	23.3
2011-12	34,552.15	9,175.10	26.6

7.2 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को खान प्राप्तियों (खनिजों का अवैध खनन व निर्गमन को छोड़कर) राजस्व की बकाया राशि ₹ 50.57 करोड़ थी जिसमें से ₹ 8.07 करोड़ पाँच वर्षो या अधिक से बकाया थे। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01.04.2011 को बकाया	वर्ष 2010-11 के दौरान संग्रहित की गई राशि	31.3.2012 को बकाया
2006-07 तक	90.62	82.55	8.07
2007-08	101.42	91.64	9.78
2008-09	103.17	97.85	5.32
2009-10	119.22	102.58	16.64
2010-11	125.76	115.00	10.76
योग	**540.19**	**489.62**	**50.57**

पाँच वर्ष या अधिक से बकाया राजस्व ₹8.07 करोड़ की वसूली की संभावना क्षीण है।

यह अनुशंषा की जाती है कि बकाया की वसूली के लिए सरकार समुचित कार्यवाही करें।

7.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

पिछले पांच वर्षों के दौरान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से 74 अनुच्छेदों में ₹ 1137.42 करोड़ के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, राजस्व का कम निर्धारण/हानि, कर की गलत दर का लगाना/आरोपण, कर की गलत गणना आदि के प्रकरणों को इंगित किया था। उनमें से 42 अनुच्छेदों के लेखापरीक्षा आपत्तियों में समावेशित ₹ 326.64 करोड़ को विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और 24 अनुच्छेदों में ₹ 22.67 करोड़ की अब तक (सितम्बर 2012) वसूली की जा चुकी है जैसाकि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

(₹करोड़ में)

लेखापरीक्षा वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार्य अनुच्छेद		अनुच्छेद एवं वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2006-07	15	34.29	9	3.24	6	1.02
2007-08	13	275.30	10	23.86	5	4.31
2008-09	27	259.67	17	22.01	11	17.04
2009-10	6	410.16	5	276.67	1	0.06
2010-11	13	158.00	1	0.86	1	0.24
योग	**74**	**1137.42**	**42**	**326.64**	**24**	**22.67**

स्वीकार्य राशि की तुलना में वसूल की गई राशि काफी कम है। विभाग ने अवगत कराया कि कुछ प्रकरणों में वसूली न्यायाधिकारियों द्वारा स्थगित थी, जबकि दूसरे प्रकरणों में इनकी मांग वसूली के विभिन्न स्तरों पर बकाया थी।

7.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि विभागीय संक्रियाओं का संचालन, लागू कानूनों, विनियमनों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग के साथ किया जा रहा है, अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पंजिकाओं/लेखा पंजिकाओं का उचित एवं सही ढंग से संधारण कर रहे हैं एवं राजस्व संग्रहण का अभाव/कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों में पाया कि लगभग सभी खनिज इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से लम्बित है। **आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में, विभागीय अधिकारी, प्रणालियों के दुष्क्रियान्वयन, राजस्व अपवंचना/छीजत के क्षेत्रों के प्रति अनभिज्ञ रहे। प्रकरण को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 में इंगित किया गया था। फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।**

7.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग की वर्ष 2011-12 के दौरान की गई मापक जाँच में 23,024 प्रकरणों में ₹ 636.94 करोड़ की राशि की राजस्व अवसूली/कम वसूली के प्रकरण सामने आये, जो मुख्यत: निम्न श्रेणियों में आते है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग			
1.	अनाधिकृत उत्खनन	1,156	420.53
2.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	714	48.96
3.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	626	5.28
4.	धरोहर राशि का जब्त न करना	22	2.33
5.	अन्य अनियमितताऐं	20,506	159.84
योग		**23,024**	**636.94**

वर्ष 2011-12 के दौरान, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग ने 1,758 प्रकरणों में ₹ 21.00 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 10.47 करोड़ के 983 प्रकरण वर्ष 2011-12 के दौरान एवं शेष पूर्व वर्षो में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 1,631 प्रकरणों में ₹ 22.37 करोड़ की वसूली की, जिसमें से ₹ 58.92 लाख के 304 प्रकरण चालू वर्ष की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे तथा अन्य शेष पूर्व के वर्षो से सम्बन्धित थे।

कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें ₹ 319.57 करोड़ सन्निहित है, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग

7.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के अभिलेखों की मापक जाँच में अनेक मामलों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना, शासकीय आदेशों/प्रक्रियाओं की अवहेलना तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों का पता चला जिनमें से कुछ प्रकरणों का इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। ऐसी कुछ त्रुटियों को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लायी गई, तथापि ये अनियमितताएँ न केवल विद्यमान रहती हैं बल्कि लेखापरीक्षा होने तक भी इनका पता नहीं चलता है। सरकार को विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

7.7 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अवहेलना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (खा.ख.वि.वि. अधिनियम), खनिज रियायत नियम, 1960 (ख.रि.नि.), खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 (ख.सं.वि.नि.) तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 (रा.अ.ख.रि.नि.) में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

(i) निर्धारित दरों पर अधिशुल्क का आरोपण;

(ii) अवैध रूप से उत्खनित/भेजे गए खनिजों की कीमत का आरोपण;

(iii) विलम्ब से किये गये भुगतानों पर ब्याज का आरोपण;

(iv) पट्टे जारी करना; तथा

(v) खनिजों का संरक्षण।

खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ताओं एवं विभागीय प्राधिकारियों के द्वारा अनुच्छेद 7.7.1 से 7.7.15 में उल्लेखित प्रकरणों में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप अधिशुल्क की कम/अवसूली, खनिज कीमत की कम/अवसूली तथा ब्याज का अनारोपण हुआ।

7.7.1 चूनापत्थर खनन पट्टों की अप्रधान खनिज के लिए अनियमित स्वीकृति

भारत सरकार ने चूनापत्थर को भट्टों में भवन सामग्री हेतु चूना बनाने के लिये उपयोग किये जाने पर अप्रधान खनिज घोषित (6 मार्च 1965) किया तथा राज्य सरकारों को रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट से यह संतुष्ट होने पर कि चूनापत्थर केवल भवन सामग्री हेतु चूना बनाने के लिए उपयुक्त है, केवल अप्रधान खनिज चूनापत्थर के खनन पट्टों के रूप में स्वीकृत करने हेतु अधिकृत (14 सितम्बर 1989) किया।

चूनापत्थर को परख करने के लिए केवल कैल्सियम आक्साईड 40 प्रतिशत से कम अथवा सिलिकान आक्साईड 16 प्रतिशत से ज्यादा हो तथा मैग्नीशियम आक्साईड पाँच प्रतिशत या अधिक होने पर ही अप्रधान खनिज के रूप में विचारणीय होगा। इस हेतु विभाग को प्रतिष्ठित विश्लेषक की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48 (5) के अनुसार जब खनिज का अविधिक उत्खनन व निर्गमन होता है तो खनिज की कीमत, अधिशुल्क का दस गुना वसूलनीय है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 13 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को खनिजों के संबंध में तथा उससे जुड़े आशयों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों तथा खनन पट्टा मंजूरी की विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदत्त है। इस अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अप्रधान खनिज रियायत के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

सात सहायक खनि अभियन्ता (स.ख.अ.)/खनि अभियन्ता (ख.अ.) कार्यालयों[1] की रियायत, अधिशुल्क पत्रावलियों एवं समर्पित विवरणियों की मापक जाँच में, यह पाया कि (जुलाई 2011 से मार्च 2012) 28 खनन पट्टे चूनापत्थर भवन सामग्री हेतु चूना बनाने के लिए स्वीकृत किये। किन्तु खनन पट्टेधारियों द्वारा चूनापत्थर विभिन्न सीमेंट फैक्ट्रीज व स्टील प्लान्टस को सीमेंट व लोहा निर्माण के लिए निर्गमित किया गया जो कि अन्तिम उपयोग की शर्त व खनन पट्टों की शर्तों के विपरीत था। रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

आगे, यह भी पाया कि सहायक खनि अभियन्ता, गोटन के क्षेत्र में 70 प्रतिशत स्टील ग्रेड[2]/सीमेन्ट ग्रेड का खनिज खनन क्षेत्र से खनन कर निर्गमित किया एवं

[1] बांसवाड़ा, गोटन, जोधपुर, कोटा, कोटपुतली, सिरोही एवं उदयपुर।

[2] उच्च ग्रेड चूनापत्थर का उपयोग स्टील प्लान्ट में इस्पात को गलाने के काम में आता है।

सहायक खनि अभियन्ता, कोटपुतली के मामले में खनन पट्टा सं. 259/94 अप्रधान खनिज के रूप में इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि खनिज को सीमेन्ट फैक्ट्री को निर्गमित किया जावेगा, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था।

खनन पट्टेधारियों द्वारा खनिज के अन्तिम उपयोग में परिवर्तन करना एवं खनन पट्टे की शर्तों के विपरीत इनका सीमेंट फैक्ट्री व स्टील प्लान्टस को निर्गमन अवैध था। इस अनियमितता के लिए विभाग भी उत्तरदायी था। अवैध रूप से उत्खनित व निर्गमित खनिज की कीमत ₹ 240.29 करोड़ थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2011 से मार्च 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.2 खनिजों का अवैध उत्पादन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(10) के अनुसार पट्टेदार खानों के कार्यकरण के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गये समस्त विद्यमान अधिनियमों तथा नियमों और ऐसे अन्य अधिनियमों अथवा नियमों का जो समय-समय पर लागू किये जाये, का पालन करेगा। वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(4) एवं जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के अनुसार खनन पट्टेधारी को निर्धारित अवधि में उत्खनित होने वाले खनिज की मात्रा निश्चित कराते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल (रा.रा.प्र.नि.म.) से संचालन की सहमति प्राप्त करनी होती है। आगे, इन नियमों के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित एवं निर्गमन करता है तो सम्बन्धित खनि अभियंता ऐसे उत्खनित पर देय खनिज के अधिशुल्क के साथ-साथ कीमत वसूल कर सकेगा, जो प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगा।

7.7.2.1 आठ खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ताओं[3] के कार्यालयों के रियायत पत्रावलियों, अधिशुल्क पत्रावलियों एवं समर्पित विवरणियों तथा रा.रा.प्र.नि.म. से प्राप्त खनन करने की अनुमति पत्रों का प्रति सत्यापन के दौरान, यह ध्यान में आया (जुलाई 2011 से मार्च 2012) कि 17 खनन पट्टाधारकों ने 9,62,812 मै.टन खनिज जैसे कि मार्बल, चूनापत्थर (भवन निर्माण) तथा चुनाई पत्थर का रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा अधिकृत मात्रा से अधिक खनिज का खनन 2006-07 से 2010-11 के मध्य किया।

[3] अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, नागौर, राजसमन्द-I, राजसमन्द-II, रामगन्जमण्डी एवं उदयपुर।

संबंधित खनि अभियन्ताओं द्वारा रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा अधिकृत मात्रा से अधिक मात्रा के रवन्ना जारी किये गए। अत: विभाग द्वारा रा.रा.प्र.नि.म. द्वारा अधिकृत मात्रा तक रवन्ना जारी करने को सीमित नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से उत्खनित खनिज 9,62,812 मीट्रिक टन जिसका मूल्य ₹ 80.76 करोड़ था, जिसको विभाग द्वारा वसूल नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (सितम्बर 2011 से मार्च 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 31 के अन्तर्गत निष्पादित खनन पट्टा संविदा के भाग VII की शर्त संख्या 11 ग के अनुसार पट्टेदार पर्यावरण के संरक्षण के सम्बन्ध में उपाय करेगा एवं साथ ही ऐसे अन्य उपाय करेगा जैसा कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे। खनिज सरंक्षण व विकास नियम, 1988 के नियम 37 में प्रावधान है कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के धारक द्वारा पूर्वेक्षण, खनन संक्रियाओं व संबंधित गतिविधियों के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखा जावेगा और वायु (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुदेय सीमा के भीतर रखा जाएगा। आगे, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के अनुसार चूककर्ता से अवैध रूप से उत्खनित व निस्तारित खनिज के अधिशुल्क के साथ उसके मूल्य की वसूली की जावेगी।

7.7.2.2 तीन अधीक्षण खनि अभियन्ता/खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता (अखअ)/(खअ)/ (सखअ)[4] कार्यालयों के रियायत पत्रावलियों, अधिशुल्क पत्रावलियों एवं समर्पित विवरणियों तथा रा.रा.प्र.नि.म. से प्राप्त खनन करने की अनुमति का प्रति सत्यापन के दौरान, यह ध्यान में आया (जुलाई, अक्टूबर 2011 एवं फरवरी 2012) कि रा.रा.प्र.नि.म. से अनुमत्य मात्रा से अधिक मात्रा 1,47,745 मै.टन प्रधान खनिज का अवैध उत्पादन कर ले जाया गया, इस प्रकार उत्पादित खनिज की कीमत ₹ 3.36 करोड़ थी, जिसको वसूल नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

[4] अधी.ख.अ. बीकानेर, ख.अ. राजसमन्द-I, स.ख.अ. श्रीगंगानगर।

7.7.3 खनिज चूनापत्थर (सीमेन्ट ग्रेड) की अधिशुल्क की वसूली का अभाव

खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी खनन क्षेत्र से कोई भी खनिज को हटाने या उपयोग करने पर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचित में निर्धारित दर से उस खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

पांच खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों की रियायत पत्रावलियों, अधिशुल्क पत्रावलियों एवं अधिशुल्क निर्धारण हेतु समर्पित विवरणियों का प्रति सत्यापन के दौरान, यह पाया (जुलाई 2011 से जनवरी 2012) कि चूनापत्थर (सीमेन्ट ग्रेड) के छः खनन पट्टेधारी द्वारा गिट्टी बनाने के खनन क्षेत्र में क्रेशर स्थापित कर रखे थे, और आगे, जिनका उपयोग सीमेन्ट के निर्माण करने हेतु क्लींकर बनाने के लिये किया जा रहा था। विवरणियों में, गिट्टी बनाने के लिये क्रेशिंग करते समय खनिज चूनापत्थर 43,81,258 मै.टन खराब होना दर्शाया गया, जिसकी अधिशुल्क की राशि ₹ 23.42 करोड़ का भुगतान पट्टेधारियों द्वारा नहीं किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

खनि अभियन्ता कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	अवधि	खराब किये खनिज की मात्रा (मै.टन)	वसूली योग्य अधिशुल्क की राशि (₹ करोड़ में)
अजमेर	24/97(नवी0)	01.04.2009 से 31.03.2011	4,98,505	2.93
चित्तोड़गढ़	10/83	01.04.2008 से 31.03.2011	7,87,345	4.34
	24/92	01.04.2008 से 31.03.2011	8,04,326	4.68
कोटा	1/92	2006-07 से 2010-11	4,06,525	2.14
रामगंजमण्डी	1/95	21.02.2006 से 20.02.2011	44,191	0.22
सिरोही	6/94	2006-07 से 2010-11	18,40,366	9.11
योग			**43,81,258**	**23.42**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (सितम्बर, अक्टूबर 2011 और मार्च 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.4. लोक निर्माण ठेकेदारों द्वारा खनिज का अनाधिकृत उत्खनन व उपयोग

सरकार के आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2008 के अनुसार, लोक निर्माण ठेकेदार, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सम्बन्धित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता से कार्य में उपयोग किये जाने वाले खनिजों के लिए अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त करेगा। अल्पावधि अनुमति पत्र के बिना निर्माण में खनिज का उपयोग किये जाने के मामले मे सम्बन्धित निर्माण विभाग, बिना अल्पावधि अनुमति पत्र के उपयोग में लिए गये खनिज की कीमत जमा कराने के लिए उत्तरदायी हैं।

अल्पावधि अनुमति पत्र की अवधि पूरा होने के 15 दिनों के भीतर ठेकेदार, कार्य में वास्तविक उपयोग में लिये गये एवं अल्पावधि अनुमति पत्र में अधिकृत मात्रा, खनिजों के अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63 के अनुसार यदि ऐसी मात्रा अल्पावधि अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक हो तो उपयोग में लाये गये खनिज की सम्पूर्ण अधिक मात्रा की कीमत वसूल की जावेगी। इन नियमों के नियम 48 के अनुसार खनिज की कीमत संदेय अधिशुल्क दरों की दस गुना होगी।

7.7.4.1 17 खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों में संधारित लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को जारी अल्पावधि अनुमति पत्र साथ में 'जी' शिड्यूल[5] का प्रति सत्यापन में, यह ध्यान में आया (जून 2011 से मार्च 2012) कि 111 निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा 172 निर्माण कार्यों में खनिज चुनाई पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, ग्रेवल आदि का उत्खनन/उपयोग या तो अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र में स्वीकृत मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक का किया गया। अवैध रूप से उत्खनित 99,737 मै.टन खनिज की कीमत राशि ₹ 11.83 करोड़ संगणित की गई, जो सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूल नहीं की गई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 से मार्च 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.4.2 दो खनि अभियन्ता कार्यालयों में संधारित अधिशुल्क कटौती एवं खनिज उपयोग पत्रावली की मापक जाँच में, यह ध्यान में आया (अगस्त एवं अक्टूबर 2011) कि ठेकेदारों द्वारा 276 निर्माण कार्यों में सम्बन्धित खनि अभियन्ता कार्यालयों से अल्पावधि अनुमति पत्रों को प्राप्त किये बिना खनिज का उत्खनन एवं

[5] लागत का सारांश।

उपयोग किया। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज पर, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एकल अधिशुल्क[6] की राशि की कटौती कर खान विभाग में जमा कराई गयी। चूंकि खनिज का उत्खनन एवं उपयोग बिना अल्पावधि अनुमति पत्र किया गया था, सम्बन्धित विभाग द्वारा दिनांक 08 अक्टूबर 2008 के आदेश के तहत खनिज की कीमत जमा करानी चाहिये थी, जबकि केवल अधिशुल्क राशि की वसूली की गई। गणना करने पर वसूली योग्य खनिज की कीमत ₹ 6.40 करोड़ थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

कार्यालय खनि अभियन्ता का नाम	काटी गई अधिशुल्क की राशि	खनिज की कीमत
अलवर	63.03	630.27
भरतपुर	0.94	9.42
योग	**63.97**	**639.69**

ध्यान में लाये जाने पर, विभाग ने बताया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2011) कि सम्बन्धित निर्माण विभाग को चेतना पत्र जारी कर राशि की वसूली की जावेगी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर एवं नवम्बर 2011) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.4.3 कार्यालय खनि अभियन्ता, सिरोही में संधारित निर्माण कार्य के ठेकेदारों को जारी अल्पावधि अनुमति पत्रों, साथ में 'जी' शिड्यूल/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रति सत्यापन में, यह ध्यान में आया (अगस्त 2011) कि मुख्य अभियन्ता, जयपुर द्वारा (अगस्त 2008) मैसर्स शिव पूजा कन्सट्रक्शन (प्रा0) लि0 को सिरोही-मदार-दीमा सड़क को चालक गुणवत्ता, मजबूती एवं सुधार हेतु कार्य {(एसएच-27, 197/0 से 268/400 किमी (निर्माण, उपयोग एवं स्थानान्तरण के आधार पर)} आवंटित किया, जो कि 27 अगस्त, 2010 को पूर्ण हुआ। कार्यकारी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग डिवीजन, सिरोही द्वारा खनि अभियन्ता, सिरोही को जारी (20 अक्टूबर 2010) खनिज उपयोगिता प्रमाण-पत्र में, यह ध्यान में आया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों में अल्पावधि अनुमति पत्र में अनुमत्य मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज ग्रिट/ब्लास्ट, ग्रेवल/बजरी, और साधारण मिट्टी, का उपयोग किया गया था। 'जी' शिड्यूल के आईटम नं. 5 के अनुसार 1,99,920 मै. टन (1,42,800 घ. मी. X 1.4) मिट्टी एम्बार्कमेन्ट के निर्माण कार्य के लिये आवश्यक थी, लेकिन ठेकेदार ने उसकी सम्पूर्ण मात्रा का उपयोग बिना अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये किया। अल्पावधि अनुमति पत्र में अनुमत्य मात्रा से अधिक या अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज की

[6] एकल अधिशुल्क का मतलब रा.अ.ख.रि.नि.,1986 के नियम 18(1)(बी) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूची-I के अनुसार सम्बन्धित खनिज पर सरकार को देय अधिशुल्क की राशि।

गणना करने पर अधिशुल्क एवं कीमत की राशि ₹ 2.59 करोड़[7] वसूली योग्य थी, जिसकी वसूली नहीं की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

खनिज का नाम	प्रयुक्त की गयी खनिज की मात्रा (मै.टन)	अल्पावधि अनुमति पत्र के अनुसार खनिज की मात्रा (मै.टन)	अवैध खनिज की मात्रा (मै.टन)	अधिशुल्क की राशि			खनिज की कीमत
				वसूली योग्य	वसूली की गई	कम वसूली	
ग्रिट/बैलास्ट	2,67,266	67,000	2,00,266	26.73	6.70	20.03	200.27
ग्रेवल/बजरी	83,600	76,000	7,600	8.36	7.60	0.76	–
साधारण मिट्टी	1,99,920	28,000	1,71,920	4.00	0.56	3.44	34.38
योग				**39.09**	**14.86**	**24.23**	**234.65**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.5 खनन योजना/प्लान को अनुमोदित कराये बिना खनिज का उत्खनन

7.7.5.1 प्रधान खनिज

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22 अ(1) तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 9 के अनुसार कोई भी पट्टेदार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2)(6) के अन्तर्गत कराये गये अनुमोदित खनन योजना के बिना कोई व्यक्ति खनन प्रारम्भ नहीं करेगा। यदि अवैध रूप से खनिज का उत्खनन/निर्गमन करने पर इस अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत खनिज की कीमत सहित अधिशुल्क की राशि वसूल की जावेगी।

दो सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों गोटन एवं श्रीगंगानगर के रियायत, अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियों तथा उनके पक्ष में पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों की मापक जाँच में, यह ध्यान में आया (जुलाई एवं नवम्बर 2011) कि 7 खनन पट्टाधारकों द्वारा 4,87,831 मै. टन खनिज जिप्सम और चाईना क्ले का खनन योजना को अनुमोदित कराये बिना उत्खनित व निर्गमित किया। श्रीगंगानगर के मामलें में यह पाया कि भारतीय खनिज ब्यूरो (आई.बी.एम.) ने भी टिप्पणी की (16.06.07) कि खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के नियम 12(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत खनन पट्टा संख्या 2/2000 के खनन पट्टाधारी द्वारा खनन योजना प्रस्तुत नहीं की है। बिना अनुमोदित खनन योजना/प्लान के खनिज जिप्सम एवं चाईना क्ले का

[7] (₹ 234.65 लाख + ₹ 24.23 लाख)।

उत्पादन अवैध था। जिसके कारण खनिज की कीमत ₹ 11.04 करोड़ वसूलनीय थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

स.ख.अ. कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	अवैध उत्पादन की अवधि	खनिज का नाम	अवैध उत्पादन (मै.टन में)	खनिज की कीमत
गोटन	1/03	1.1.10 से 4.3.11	चाईना क्ले	11,272	33.81
	3/04	24.3.10 से 23.3.11	-वही-	510	1.53
	6/04	7.4.10 से 1.8.10	-वही-	555	1.66
	1/05	7.9.10 से 31.3.11	-वही-	599	1.80
	16/05	14.11.10 से 31.3.11	-वही-	527	1.58
	10/05	17.11.10 से 31.3.11	-वही-	3,133	9.40
श्रीगंगानगर	2/2000	1.5.06 से 31.1.11	जिप्सम	4,71,235	1,054.64
योग				**4,87,831**	**1,104.42**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 और दिसम्बर 2011) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.5.2 अप्रधान खनिज

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(10) के अनुसार पट्टेधार खानों के कार्यकरण तथा सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पट्टेधारी के कर्मचारियों की अथवा जनसाधारण की सुविधाओं को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के संबंध में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गये समस्त विद्यमान अधिनियमों तथा नियमों और ऐसे अन्य अधिनियमों अथवा नियमों का जो समय-समय पर लागू किये जाये, का पालन करेगा। ग्रेनाईट संरक्षण एवं विकास नियम, 1999 और मार्बल विकास एवं संरक्षण नियम, 2002 के नियम 16 व 17 में प्रावधान है कि अनुमोदित खनन योजना के बिना कोई व्यक्ति खनन प्रारम्भ नहीं करेगा।

पांच सहायक खनि अभियन्ता/ खनि अभियन्ता कार्यालयों[8] के रियायत, अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियां तथा उनके पक्ष में मासिक विवरणियों की मापक जाँच में, यह पाया (जुलाई से नवम्बर 2011) कि 9 खनन पट्टाधारकों द्वारा 12,276 मै. टन खनिज मार्बल एवं ग्रेनाईट का अनुमोदित खनन योजना के बिना उत्खनित व निर्गमित किया, जो कि नियमों एवं प्रावधानों का उल्लंघन था। बिना अनुमोदित खनन योजना/खनन स्कीम के

[8] कोटपुतली, निम्बाहेड़ा, राजसमन्द-I, ऋषभदेव एवं सोजत सिटी

खनिज का उत्पादन अवैध था तथा जिसके कारण खनिज की कीमत ₹ 1.92 करोड़ वसूलनीय थी, जिसको वसूल नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 से दिसम्बर 2011) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.6 खनन पट्टे का अवैध रूप से किराये पर देना

खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 37 के अनुसार पट्टेधारी राज्य सरकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना खनन पट्टे का या उसके किसी अधिकार का स्वत्व, हित को समानुदेशन, उप पट्टों पर, बन्धक या किसी अन्य रीति से अन्तरण नहीं करेगा तथा ठेका या समझौता नहीं करेगा। जिसके कारण पट्टेधारी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा पट्टेधारी को छोड़कर वित्तीय व्यवस्था की जाये। जिससे पट्टेधारी की संक्रियायें क्रियान्वित की जा सके।

कार्यालय खनि अभियन्ता अजमेर के अभिलेखों की रियायत पत्रावलियों, अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियों तथा उनके पक्ष में मासिक विवरणियों की मापक जाँच में, यह पाया गया (जुलाई 2011) कि खनन संख्या 34/85 वास्ते खनिज क्वाटर्ज, फेल्सफार और वोलास्टेनाइट गांव अलीपुर के पास, तहसील पीसांगन जिला अजमेर में मैसर्स अरविन्द मिनरल्स (प्रोपराईटर-श्री अरविन्द कुमार गर्ग) के पक्ष में धारित था। खनन पट्टाधारी द्वारा (22 जून 2004) राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना सभी खनन अधिकार मैसर्स इण्डिगो मिनरल्स (फर्म) को हस्तान्तरित कर दिये। मैसर्स इण्डिगो मिनरल्स द्वारा 13 जुलाई 2006 से खनन कार्य करने लगा, जैसे कि खनन पट्टाधारी द्वारा फर्म को खनन पट्टे का अधिकार दे दिया हो। अधिशुल्क अभिलेखों के अनुसार गणना करने पर अवैध रूप से खनन कर निर्गमित खनिज की वसूली योग्य कीमत राशि ₹ 1.74 करोड़ थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

अवधि	उत्खनित खनिज का नाम	मात्रा (मै.टन)	खनिज की कीमत
13.07.2006 से 12.07.2007	क्वाटर्ज	484.020	1.82
13.07.2007 से 12.07.2008	फैल्सफार	2,795.070	4.18
	वोलास्टेनाइट	16,382.905	168.26
योग			**174.26**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया व सरकार को प्रतिवेदित (सितम्बर 2011) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.7 अनाधिकृत रूप से उत्खनित व निर्गमित खनिज की कीमत की मांग कायमी का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(9)(ग) के अनुसार पट्टेधारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति बिना रवन्ना के खान तथा खदान से खनिज को हटायेगा नहीं अथवा निर्गमन नहीं करेगा अथवा उपयोग में नहीं लायेगा। इन नियमों के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के खनिज निकालता है तो अधिशुल्क के साथ खनिज की कीमत जो कि तत्समय लागू अधिशुल्क की 10 गुणा होगी, वसूल की जावेगी।

कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर में विभाग द्वारा बनाये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं मांग अनुमोदन पत्रावलियों की मापक जाँच में, यह पाया (अगस्त-सितम्बर 2011) कि 16 प्रकरणों में खान एवं भू-विज्ञान, वन, एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार खनन पट्टाधारियों एवं दूसरे लोगों के द्वारा दिसम्बर 2007 से फरवरी 2011 में खनिज चुनाई पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन कर बिना रवन्ना के निर्गमन किया, लेकिन विभाग द्वारा खनिज की कीमत के साथ अधिशुल्क राशि ₹ 7.91 करोड़ की मांग कायम नहीं की गई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

निरीक्षण की अवधि	प्रकरणों की संख्या	विलम्ब का समय	अवैध रूप से उत्खनित/निर्गमन खनिज की मात्रा (मै.टन)	खनिज की कीमत (अधिशुल्क की दस गुणा) प्रति मै.टन	वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ों में)
दिसम्बर-2007	4	4 वर्ष से अधिक	99,625.5	130	1.29
अक्टूबर-2010 एवं फरवरी-2011	12	6 से 2 माह	8,27,091.5	80	6.62
योग	**16**	–	**9,26,717.0**	–	**7.91**

प्रकरण एक से 5 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात अभी भी सरकार के पास निर्णय हेतु लम्बित हैं, परिणामस्वरूप खनिज की कीमत राशि ₹ 7.91 करोड़ की वसूली नहीं हुई। प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

सरकार को, प्रकरणों को निर्णित करने के लिये समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये, जिससे सरकार देय राशि को समय पर वसूल कर सके।

7.7.8 खनिज की कीमत की मांग कम कायम/कायम नहीं करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 65ए के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 10 जून 1994 के अनुसार भट्टा मालिक ईंट बनाने के लिए ईंट-मिट्टी के उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त करेगा। अनुमति कम से कम एक वर्ष एवं अधिकतम पांच वर्ष के लिए होगी। ईंट-मिट्टी की वार्षिक मीट्रिक टन मात्रा के उपयोग हेतु सूत्र 150 दिन x 3.5 मीट्रिक टन x घोड़ियों की संख्या के अनुसार ईंट-मिट्टी पर अधिशुल्क की वसूली की जावेगी। आगे, इन नियमों के नियम 48 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति विधिक प्राधिकार के बिना कोई खनिज किसी भूमि से निकालता है तो, वह निकाले गये खनिज के अधिशुल्क के साथ इसके मूल्य के भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

7.7.8.1 कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर एवं कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर में विभाग द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन/पंचनामों की मापक जाँच के दौरान, यह ध्यान में आया (जून 2011 एवं फरवरी 2012) कि 49 भट्टा मालिकों द्वारा अपेक्षित अनुज्ञापत्र प्राप्त किये व अधिशुल्क का भुगतान किये बिना ईंट मिट्टी का अवैध रूप से उपयोग किया गया। विभाग द्वारा यद्यपि, मौका निरीक्षण के समय पर पाई गई ईंटों की वास्तविक मात्रा के आधार पर मांग कायम की गई, जबकि ईंट-भट्टे में एक वर्ष में उपयोग होने वाली ईंट-मिट्टी की कीमत की मांग की जानी थी। गणना करने पर वसूलनीय कीमत ₹ 3.94 करोड़ थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	पंचनामा का माह	वसूली योग्य कीमत[9]	विभाग द्वारा कायम मांग	कम मांग कायमी
1	खनि अभियन्ता, जयपुर	8	मई-2010 से फरवरी-2011	140.09	11.80	128.29
2	अधी. खनिज अभियन्ता, बीकानेर (ख. अ., बीकानेर)	41	अक्टूबर-2009 से मई-2010	278.77	13.41	265.36
योग				**418.86**	**25.21**	**393.65**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये व सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 एवं फरवरी 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

[9] एक वर्ष में ईट-मिट्टी का उपयोग करने की ईट-भट्टे की क्षमता के आधार पर राशि की गणना की गई है।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के परिपत्र दिनांक दिसम्बर 2004 के अनुसार पंचनामों में अवैध रूप से उत्खनित एवं निर्गमित खनिज के सभी प्रकरणों में कीमत की मांग कायम करने से पूर्व अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

7.7.8.2 कार्यालय खनि अभियन्ता, अलवर के निरीक्षण प्रतिवेदन की पत्रावली की मापक जाँच में, यह ध्यान में आया (सितम्बर 2011) कि खनि अभियन्ता द्वारा 23 फरवरी, 2011 को बनाये गये पंचनामें के अनुसार खनन पट्टाधारी श्री दिनेश चन्द्र सैनी तथा कैलाश चन्द्र सैनी द्वारा क्रमशः खनन पट्टा संख्या 110/98 एवं 111/98 के द्वारा 43,177.4 मै.टन[10] खनिज चुनाई पत्थर एवं ग्रेवल का खनन, पट्टा क्षेत्र के बाहर स्थित 6 पिटों से किया गया। खनन पट्टेधारियों को अवैध रूप से उत्खनित एवं निर्गमित खनिज की कीमत राशि ₹ 67.96 लाख[11] तथा ₹ 27.03 लाख[12] की वसूली के लिये चेतना पत्र (11 मार्च 2011) जारी किये। खनि अभियन्ता द्वारा (10 जून 2011) खनिज के अवैध उत्खनन एवं पंचनामा को सुनिश्चित करने एवं कीमत के अनुमोदन के लिये अधीक्षण खनि अभियन्ता, सर्कल-भरतपुर को भेजा गया। फिर भी अधीक्षण खनि अभियन्ता द्वारा खनिज की कीमत का अनुमोदन नहीं किया एवं राशि आज तक वसूली नहीं हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

[10] 43,177.4 मै.टन (12,285 चुनाई पत्थर + 30,892.4 ग्रेवल)।

[11] ₹ 67.96 लाख (30,892.4 मै.टन x ₹ 22 x 10)।

[12] ₹ 27.03 लाख (12,285 मै.टन x ₹ 22 x 10)।

7.7.9 राज्य सरकार के आदेश में कमी से अधिशुल्क की कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसार खनन पट्टाधारी, इन अधिनियमों के अन्तर्गत अनुदानित खनन क्षेत्र से खनिज को हटाने या उपयोग करने पर अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63(1)के अनुसार खनि अभियन्ता/स.खनि अभियन्ता किसी व्यक्ति को, इन नियमों के नियम 18(1) के अन्तर्गत अधिसूचित दर से अधिशुल्क का भुगतान करने पर निश्चित समय में खनिज का उत्खनन एवं उपयोग करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र जारी कर सकेगा। अल्पावधि अनुमति पत्रधारी की जिम्मेदारी होगी की अल्पावधि अनुमति पत्र की अवधि की समाप्ति के 15 दिवस के भीतर अधिशुल्क निर्धारण के लिये रिकार्ड प्रस्तुत करेगा।

7.7.9.1 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2008 के अनुसार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने मे पूर्व निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज के लिये अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त करेगें, कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्य की लागत पर निम्न प्रकार प्रतिशत के आधार पर अधिशुल्क की कटौती की जावेगी।

कार्य की प्रकृति	अधिशुल्क कटौती का प्रतिशत
सड़क निर्माण	1.75
भवन निर्माण	1.00
सड़क का पुनरूत्थान	0.75
अन्य कार्य जहां खनिज काम में आता है	0.50

राज्य सरकार का उक्त आदेश अधिनियम की धारा 9 के सपठित राजस्थान रियायत नियम, 1986 के नियम 63 एवं 18(1) के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि उक्त नियमों के अनुसार खनिज को हटाने या उपयोग में लेने से पूर्व अधिशुल्क का भुगतान अग्रिम में करना होता है। अधिशुल्क की राशि कार्य की प्रकृति की लागत पर प्रतिशत के आधार पर कटौती करने पर वास्तविक अधिशुल्क की राशि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज पर देय अधिशुल्क की तुलना में बहुत कम थी।

चार खनि अभियन्ता/सहा.खनि अभियन्ता कार्यालयों में संधारित सार्वजनिक निर्माण कार्य के ठेकेदारों को जारी अल्पावधि अनुमति पत्रों, निर्माण आदेश, खनिज सप्लाई आदेश एवं 'जी' शिड्यूल की मापक जाँच के दौरान, यह ध्यान में आया (अक्टूबर 2011-मार्च 2012) कि 46 निर्माण कार्यों में 6,22,801 मै.टन ग्रेवल, चुनाई पत्थर, साधारण मिट्टी आदि का उपयोग किया गया था। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2008 के आदेश के तहत निर्धारित प्रतिशत के आधार

पर अधिशुल्क की कटौती की गई, जो कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज की मात्रा के आधार पर वसूली योग्य अधिशुल्क की राशि से कम थी। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

ख.अभि./ स.ख.अभि. कार्यालय का नाम	निर्माण कार्य की संख्या	प्रयुक्त खनिज की मात्रा (अल्पावधि अनुमति पत्रों में अधिकृत के अनुसार) (मै.टन)	अधिशुल्क की राशि		अन्तर राशि
			कटौती (प्रतिशत के अनुसार)	(देय अधिसूची के अनुसार)	
बाड़मेर	16	86,012 (ग्रैवल)	1.75	9.02	7.27
जैसलमेर	5	84,015 (ग्रैवल, मुर्रम आदि)	4.03	13.34	9.31
सीकर	24	1,63,574 (ग्रैवल, मुर्रम आदि)	6.30	24.48	18.18
राजसमन्द I	1	2,89,200 (बजरी, ग्रैवल, गिटटी, साधारण मिट्टी)	28.51	41.87	13.36
योग	**46**	**6,22,801**	**40.59**	**88.71**	**48.12**

अत: राज्य सरकार का आदेश, अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के विपरीत होने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क की राशि ₹ 48.12 लाख की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011 से मार्च 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.9.2 तीन खनि अभियन्ता/सहा. खनि अभियन्ता कार्यालयों के निर्माण विभाग के उपयोगिता विवरणों एवं अधिशुल्क कटौती अभिलेखों की मापक जाँच में, यह पाया गया (अगस्त-दिसम्बर 2011) कि 29 सड़क निर्माण कार्यों में खनिज ग्रैवल उपयोग किया। सरकार के आदेश दिनांक 8 अगस्त 2008 के अनुसार निर्माण कार्य की लागत पर 1.75 प्रतिशत की दर से अधिशुल्क राशि की कटौती की गई, जो कि वास्तविक वसूली योग्य अधिशुल्क की राशि निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज ग्रैवल पर अधिमूचित दर से वसूली योग्य अधिशुल्क राशि मे ₹ 25.70 लाख

कम थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	ख.अभि./ स.ख.अभि. कार्यालय का नाम	निर्माण कार्य की संख्या	प्रयुक्त खनिज ग्रैवल की मात्रा (मै.टन में)	अधिशुल्क की राशि		अन्तर राशि
				कटौती 1.75 प्रतिशत की दर से	कटौती योग्य	
1	बालेसर	10	88,728	1.57	8.87	7.30
		5	59,850	0.94	5.99	5.05
2	नागौर	10	1,08,726	4.28	10.87	6.59
3	सलूम्बर	4	50,710	0.43	7.19	6.76
योग		**29**	**3,08,014**	**7.22**	**32.92**	**25.70**

अत: राज्य सरकार का आदेश, अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के विपरीत होने के परिणामस्वरूप अधिशुल्क की राशि ₹ 25.70 लाख की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011 से जनवरी 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.10 प्रशमन शुल्क की वसूली नहीं करने से राजस्व हानि

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी भी भूमि से बिना किसी विधिक प्राधिकार के खनिज उठाता है तो राज्य सरकार, खनिज की कीमत अधिशुल्क या कर, जैसा भी मामला हो वसूल कर सकती है। आगे, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2011 सपठित परिपत्र दिनांक 13 जनवरी 2011 के अनुसार ऐसे अवैध खनिज को ले जाने वाले प्रत्येक वाहन से ₹ 25,000 प्रशमन शुल्क वसूलनीय है।

कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के चैक पोस्ट पंजिका की मापक जाँच के दौरान, यह ध्यान में आया (अगस्त 2011) कि 13 जनवरी 2011 एवं 31 मार्च 2011 के मध्य अवैध रूप से ले जा रहे खनिज जिप्सम की कीमत तथा उस पर देय अधिशुल्क की राशि 193 परिवहन वाहनों (ट्रेक्टर एवं ऊँट गाड़ी) से वसूल किये, लेकिन राज्य सरकार के दिनांक 13 जनवरी 2011 की अधिसूचना के प्रावधनों के अनुसार ₹ 25,000 प्रति वाहन प्रशमन शुल्क की राशि की वसूली नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 48.25 लाख[13] की हानि हुई।

[13] 48.25 लाख (193 वाहन x ₹ 25,000)।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अक्टूबर 2011) किया गया। उनके उत्तर प्रतिक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.11 एस.एम.एस. ग्रेड चूनापत्थर के अधिशुल्क की कम वसूली

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी खनन क्षेत्र से खनिज को हटाने या उपयोग करने पर किसी भी खनिज के सम्बन्ध में तत्समय निर्धारित दर से अधिशुल्क का भुगतान करेगा।

भारत सरकार द्वारा 13 अगस्त, 2009 से एस. एम.एस.ग्रेड चूनापत्थर जिसमें सिलिका की मात्रा 1.5 प्रतिशत से कम हो के लिये ₹ 72 प्रति टन तथा अन्य प्रकार के चूनापत्थर के लिये ₹ 63 प्रति टन निर्धारित की।

कार्यालय सहा. खनि अभियन्ता, जैसलमेर में रियायत, अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियों एवं मासिक विवरणियों की मापक जाँच के दौरान, यह पाया (मार्च 2012) कि मैसर्स राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि0 के पक्ष में दो खनन पट्टे वास्ते खनिज चूना पत्थर (स्टील ग्रेड) अनुदानित थे। खनन पट्टेधारी द्वारा एस.एम.एस.[14] ग्रेड चूनापत्थर की विभिन्न आकार की ग्रिट (10 से 30 एमएम, 30 से 80 एमएम, एवं दूसरे आकार की) जिनमें सिलिका की मात्रा 1.5 प्रतिशत से कम थी का उत्खनन कर निर्गमन किया।

कम्पनी द्वारा 30 से 80 एमएम आकार की ग्रिट के लिये ₹ 72 की दर से अधिशुल्क का भुगतान किया गया लेकिन 10 से 30 एमएम एवं दूसरे आकार की ग्रिट के लिये ₹ 63 प्रति मै.टन की दर से भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप निम्नानुसार राशि ₹ 42.40 लाख की अधिशुल्क की कम वसूली हुई:

(₹ लाखों में)

खनन पट्टा संख्या	अवधि	निर्गमित खनिज की मात्रा मै.टन	वसूली योग्य अधिशुल्क ₹ 72 प्र.मै.ट.	वसूल अधिशुल्क ₹ 63 प्र.मै.ट.	अधिशुल्क की कम वसूली
27/96	01.04.10 से 31.03.11	2,47,327	178.08	155.82	22.26
1/97	01.04.10 से 31.03.11	2,23,736	161.09	140.95	20.14
योग		**4,71,063**	**339.17**	**296.77**	**42.40**

ध्यान में लाये जाने के पश्चात विभाग ने बताया (मार्च 2012) कि मांग कायमी के पश्चात राशि वसूली कर ली जावेगी।

[14] एस.एम.एस. इस्पात पिघालने वाला।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया व सरकार को प्रतिवेदित (मार्च 2012) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.12 ब्याज का अनारोपण

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) एवं अप्रेल 2000 एवं मार्च 2008 को जारी सरकार के निर्देशों के अनुसार खनन पट्टाधारी महीने के दौरान निर्गमित खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करेगा। आगे, खान रियायत नियम, 1960 के नियम 64(ए) के अनुसार खनन पट्टेधारी को विलम्ब से भुगतान करने पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से नियत तिथि के 60 वें दिन से ब्याज का भुगतान, करना होगा।

(i) छः खनि अभियन्ता/सहा. खनि अभियन्ता कार्यालयों[15] के मांग एवं वसूली पंजिका की मापक जांच में, यह पाया (जून से अक्टूबर 2011) कि 22 प्रकरणों में देरी से/भुगतान नहीं करने पर ₹ 1.66 करोड़ की ब्याज की मांग कायम कर वसूली नहीं की गई।

ध्यान में लाये जाने के पश्चात, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं अवगत कराया कि राशि ₹ 84,423 की वसूली की जा चुकी है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37(2) के अन्तर्गत अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा की नियमों एवं शर्तों के अनुसार ठेकेदार को संविदा की किश्तों का भुगतान प्रत्येक माह के 10वें दिन तक पूर्व में जमा कराना होगा। जमा कराने में विलम्ब होने पर विलम्ब की अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

(ii) तीन खनि अभियन्ता कार्यालयों[16] की मांग एवं वसूली पंजिका की मापक जांच में, यह पाया (जुलाई से अक्टूबर 2011) कि 17 प्रकरणों में ब्याज की राशि ₹ 32.62 लाख की मांग कायम नहीं की गई।

ध्यान में लाये जाने के पश्चात, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं अवगत कराया कि 10 प्रकरणों में राशि ₹ 21.20 लाख की मांग कायम की जा चुकी है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 61 के प्रावधान अनुसार अधिशुल्क, स्थिर भाटक आदि के भुगतान में विलम्ब करने पर 15 दिवस के पश्चात 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

(iii) कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर के मांग एवं वसूली पंजिका की मापक जांच में, यह पाया (जून 2011) कि 67 ईट-भट्टों के मालिकों के प्रकरणों में किश्तों का विलम्ब से भुगतान

[15] अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर एवं सिरोही।
[16] बीकानेर, जयपुर एवं सोजत सिटी

करने पर ब्याज की राशि ₹ 6.10 लाख की मांग कायमी कर वसूली नहीं की गई।

ध्यान में लाये जाने के पश्चात, खनिज अभियन्ता (जून 2011) ने बताया कि राशि वसूल कर ली जावेगी ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त एवं नवम्बर 2011) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.13 बिना अभिवहन पास के खनिज का निर्गमन

राजस्थान खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2007 के नियम 3 एव 11 के अनुसार कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन व्यवहारी के रूप में पंजीकृत हुए बिना खनिज या खनिजों/अयस्कों को खरीदनें, बेचने, भण्डारण करने, वितरण करने या प्रसंस्करण करने का प्रत्यक्ष या अन्यथा या खनिज/खनिजों और/या उनके संघटकों का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित खनि अभियन्ता/स.खनि अभियन्ता से अभिवहन पास प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान से किसी खनिज का परिवहन नहीं करेगा या उसे नहीं ले जायेगा। जब कोई भी इन नियमो के प्रावधान के विरूद्ध होने पर खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। उक्त अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार जब खनिज का निर्गमन/उत्खनन अवैध रूप से होने पर चूककर्ता से खनिज की कीमत मय अधिशुल्क के साथ वसूली योग्य होगी।

कार्यालय स.खनि अभियन्ता, श्रीगगांनगर के निरीक्षण प्रतिवेदनों की मापक जांच के दौरान, यह ध्यान में आया (जुलाई 2011) कि मै0 श्री सीमेन्ट लि0 ने अवधि 26 जनवरी एवं 19 अप्रेल 2010 के मध्य 8,211.91 टन जिप्सम का बिना अभिवहन पास के निर्गमन किया। फर्म का यह कार्य राजस्थान खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2007 के विपरीत था। अधिशुल्क के साथ खनिज की कीमत राशि ₹ 29.56 लाख[17] भी वसूलनीय थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

[17] ₹ 29.56 लाख (कीमत 8211.91 मै.टन x ₹ 300 + अधिशुल्क 8211.91 मै.टन x ₹ 60)

7.7.14 स्टोन क्रेशरों पर उपयोग में लिए खनिज की कीमत की मांग कायम नहीं करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 69 में प्रावधान है कि कर निर्धारण अधिकारी खनिज का उपयोग करने वाले तथा/अथवा राज्य में खनिज में व्यवहार करने वाले किसी भी पक्षकार को बुला सकेगा और आवश्यक सूचना मांग सकेगा। कोई भी व्यक्ति जो खनिजों का करोबार करता है और उसके द्वारा क्रय की गई, स्टाक की गई तथा बिक्रीत खनिजों के सही लेखे का संधारण करेगा और ये अभिलेख, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे। इसमें विफल रहने पर कर निर्धारण प्राधिकारी इन नियमों के नियम 48 (5) के अनुसार व्यवहारी से खनिज की कीमत के साथ अधिशुल्क भी वसूल कर सकते हैं। खनिज की कीमत की गणना संदेय अधिशुल्क दरों की दस गुना के रूप में की जावेगी।

खनि अभियन्ता, जयपुर एवं सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर के निरीक्षण प्रतिवेदनों की मापक जाँच के दौरान, यह ध्यान में आया (जून एवं दिसम्बर 2011) कि जनवरी 2006 एवं मई 2010 के बीच 31 स्टोन क्रेशर्स के निरीक्षण के दौरान 23,492 मै.टन खनिज चुनाई पत्थर व क्रेशर ग्रिट स्थल पर पाई गई, किन्तु खनिज क्रय के स्रोत क्रेशर मालिकों द्वारा उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी करने के बावजूद भी अवगत नहीं कराये गये। विभाग द्वारा निचे दिये गये विवरण के अनुसार खनिज कीमत के साथ अधिशुल्क ₹ 25.56 लाख की मांग

कायम नहीं की गई:

खनि अभियन्ता/ स.खनि अभियन्ता का नाम	निरीक्षण की अवधि	प्रकरणों की संख्या	अवैध रूप से उत्खनित/ निर्गमित खनिज की मात्रा (मै.टन)	खनिज की कीमत (अधिशुल्क की दस गुणा) प्र.मै.टन (₹)	वसूलनीय राशि (₹ लाखों में)		
					कीमत	अधिशुल्क	योग
बालेसर	23.07.2008 से 23.08.2009	2	16,792	100	16.79	1.68	18.47
जयपुर	30.01.2006 से 30.08.2006	4	1,315	80	1.05	0.11	1.16
	14.12.2007 से 29.05.2010	25	5,385	100	5.39	0.54	5.93
योग		**31**	**23,492**		**23.23**	**2.33**	**25.56**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाये गये एवं सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2011 एवं जनवरी 2012) किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

7.7.15 संविदा निष्पादन के अभाव में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि

भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार किसी भी प्रकार के स्थायी सम्पत्ति का एक साल से अधिक की अवधि के पट्टे का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। आगे, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24 नवम्बर 1993 में स्पष्ट किया कि पट्टा विलेख के निष्पादन पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क देय है।

कार्यालय निदेशक, पेट्रोलियम, राजस्थान, जयपुर के रियायत पत्रावलियों/स्वीकृत आदेश पत्रावलियों की मापक जांच में, यह ध्यान में आया (जून 2011) कि अक्टूबर 1997 एवं जून 2010 के मध्य 10 खनन पट्टे वास्ते खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिये स्वीकृत किये गये, जोकि 20 वर्ष के लिये प्रभावी थे। फिर भी, पट्टा विलेखों का निष्पादन एवं पंजीयन नहीं कराने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की राशि ₹ 88.83 लाख की वसूली नहीं हुई।

ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, विभाग ने अवगत कराया (जून 2012) कि केन्द्र सरकार द्वारा समझौता प्रपत्र का अनुमोदन नहीं किये जाने के कारण पट्टा विलेखों का निष्पादन तथा पंजीयन नहीं कराया गया। केन्द्र सरकार द्वारा मसौदा समझौता प्रपत्र के अनुमोदन के पश्चात् पट्टा विलेखों के निष्पादन पर मुद्रांक कर की वसूली कर ली जायेगी।

तथापि, तथ्य यह है कि दो से 13 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी समझौता विलेखों का निष्पादन नहीं होने के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की राशि ₹ 88.83 लाख की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2011) किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

(राजेन्द्र चौहान)
प्रधान महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक